THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

1. Who can file a complaint before the Magistrate under this Act?

Ans. A complaint under this Act can be filed before a Magistrare by an aggrieved person or protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person.

2. The Authorities before whom the complaint is to be filed?

Ans. Any person who has reason to believe that an act of Domestic Violence has been, or is being, or is likely to be committed, may give information about it to the protection officer. An application can also be filed by the aggrieved person or protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person to the Magistrate.

3. Against whom complaint can be filed?

Ans. The complaint can be filed against any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person. Aggrieved wife or a female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against the relative of the husband or the male partner.

4. What is domestic violence?

- Ans. Domestic violence means any act, omission or commission or conduct of the respondent in case it:
 - a) Harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical of the aggrieved person. It includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse.
 - b) Harasses, harms, injures or endangers the aggrieved person with a view to coerce her or any of her relatives to meet any unlawful demand for dowry.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियिम, 2005

प्रश्न उपरोक्त अधिनियम के तहत कौन-कौन व्यक्ति दण्डाधिकारी को दरखास्त दे सकता है?

उत्तरः उपरोक्त अधिनियम के तहत उत्पीडीत व्यक्ति अथवा संरक्षण अधिकारी अथवा उत्पीड़ित व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि द्वारा दण्डाधिकारी को दरखास्त दी जा सकती है।

प्रश्न किस अधिकारी के समक्ष शिकायत दाखिल की जा सकती है?

उत्तरः कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि कोई घरेलू हिंसा का कृत्य घटित हो चुका है, हो रहा है, अथवा होने का अंदेशा है, वह सम्बन्धित संरक्षण अधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दे सकता है। इसके अलावा उत्पीड़ीत व्यक्ति अथवा संरक्षण अधिकारी अथवा उत्पीड़ित व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि द्वारा दण्डाधिकारी को भी दरखास्त दी जा सकती है।

प्रश्न किस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ?

उत्तरः शिकायत किसी भी ऐसे व्यस्क पुरुष के खिलाफ की जा सकती है, जो उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू सम्बन्ध में रहता हो। उत्पीड़ित पत्नी अथवा कोई महिला जो विवाह जैसे सम्बन्ध में रह रही हो, वह भी अपने पति, अथवा पुरुष साथी, के सम्बन्धियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है।

प्रश्न उपरोक्त अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की क्या परिभाषा है?

उत्तरः घरेलू हिंसा उत्तरवादी द्वारा किए गए ऐसे किसी कार्य, चूक, कृत्य अथवा बर्ताव को कहा जा सकता है:-

- क) जिससे उत्पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिंदगी, अंग और सुख, चाहे वह मानसिक हो अथवा शारीरिक को नुक्सान अथवा चोट पहुंचे। इसमें शारिरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण एवं आर्थिक शोषण सम्मिलित हैं।
- ख) जिससे उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके किसी सम्बन्धी पर दहेज अथवा अन्य किसी गैर कानूनी मांग की पूर्ति हेतु उत्पीड़न, नुक्सान अथवा चोट अथवा खतरा पहुंचे।

5. What is a protection order and residence order and what other orders can be passed by the Court.

Ans. Protection Order:-

It is an order whereby Magistrate prohibits the respondent from:

- b) Committing any act of domestic violence.
- c) Aiding or abetting any such act of domestic violence.
- d) Entering the place of employment/school/another place frequented by the aggrieved person.
- e) Attempting to communicate in any form whatsoever with the aggrieved person.
- f) Alienating any assets including Stridhan, operating bank lockers or bank accounts etc. without the leave of the Magistrate.
- g) Causing violence to the dependants, relatives or any person who gives any person assistance from domestic violence.
- h) Committing any other act as specified in the protection order.

Residence order:

- a) An order restraining the respondent from dispossessing or disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household.
- b) Directing the respondent to remove himself from the shared household.
- c) Restraining the respondent or his relatives from entering any portion of shared household.
- d) Restraining the respondent from alienating or disposing off the shared household.
- e) Restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household.
- f) Directing the respondent to secure an alternate accommodation for the aggrieved person.

The Magistrate can also pass orders for:-

- a) Monetary relief to the aggrieved person.
- b) For temporary custody of any child or children to the aggrieved person
- c) To pay <u>compensation</u> and damages to the aggrieved person.

प्रश्न संरक्षण आदेश व गृह आदेश क्या हैं? और अन्य कौन से आदेश न्यायालय पारित कर सकती हैं ?

उत्तरः संरक्षण आदेश

- यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा मैजीस्ट्रेट या न्याय अधिकारी प्रतिवादी पर रोक लगाता है —
- क- किसी भी प्रकार की घरेलु हिंसात्मक कार्य करने से।
- ख— किसी भी प्रकार के घरेलु हिंसात्मक कार्य के लिए उकसाना, या सहायता करने से।
- ग— पीडित व्यक्ति के रोजगार के स्थान या स्कूल, या कोई भी अन्य जगह जहाँ पीड़ित अक्सर जाता हो, वहाँ प्रतिवादी के जाने पर।
- घ- पीडित व्यक्ति से किसी भी प्रकार से संपर्क बनाने।
- ड.— मैजीस्ट्रेट दण्डाधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार की सम्पत्ति, जैसे कि स्त्री धन को हस्तांतरित करना या बैंक लॉकर या बैंक खातों का इस्तेमाल करना।
- च— आश्रितों, रिश्तेदारों या अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो पीडित घरेलु हिंसा से पीडित व्यक्ति की सहायता करता है, को हिंसा पहुंचाना।
- छ— अन्य किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करना जो कि संरक्षण आदेश में साफ तौर पर वर्णित है।

गृह आदेश

- क— ऐसा आदेश जो कि प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांझे के मकान से निकालने या उसके कब्जे में दखल अंदाजी करने से रोकता है।
- ख- प्रतिवादी को सांझे के घर या मकान से खुद को हटाये जाने के आदेश।
- ग— प्रतिवादी को या उसके रिस्तेदार को सांझे के घर के किसी भी हिस्सा में प्रवेश करने से रोकने के लिए।
- घ— प्रतिवादी को सांझे के घर को किसी तरह से हस्तांतरण करने से या बेचने से रोकने के लिए।
- ड.— प्रतिवादी को सांझे के घर बारे अपने अधिकार किसी ओर के हित में त्यागने से रोकने के लिए।
- च- पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई दूसरी रिहायश मुहैया कराने के लिए आदेश।

दण्डाधिकारी निम्नलिखित आदेश भी पारित कर सकता है।

- क- पीड़ित व्यक्ति के लिए आर्थिक राहत।
- ख- किसी बच्चे या बच्चों की पीड़ित व्यक्ति के हक में अस्थाई संरक्षण के लिए।
- ग- पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा और नुक्सान अदा करने के लिए।

6. Who is a protection officer? And where is his/her office in the district Head-quarters

Ans. Protection Officer is appointed by the State Government. In the District Headquarter, the office of Protection Officer is usually in the same building which houses the office of Superintendent of Police.

7. Is there any legal aid clinic at the said office and what are the functions of said clinic?

Ans. Yes, the Legal Aid Clinic has been set up by HALSA at the office of every Protection Officer. The advocates on duty at the clinic provide free legal aid to the victims of Domestic Violence.

8. What are the various duties performed by protection officer?

Ans. The following are the duties of the Protection Officer:

- to assist the Magistrate in the discharge of his functions under this Act.
- j) To make a domestic incident report to the Magistrate.
- k) To make an application to the Magistrate for issuance of protection order, where the aggrieved person so desires.
- I) To ensure the aggrieved person is provided legal aid.
- m) To maintain the list of all service providers.
- n) To make available a safe shelter home if the aggrieved person so requires.
- o) To get aggrieved person medically examined if she has sustained bodily injuries.
- p) To ensure that the order for monetary relief is complied with.
- q) To perform such duties as may be prescribed.

प्रश्न संरक्षण अधिकारी कौन है और जिला मुख्यालय में उसका कार्यालय कहां होता है?

उत्तरः संरक्षण अधिकारी के राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। जिला मुख्यालय में प्रायः संरक्षण अधिकारी का कार्यालय उसी भवन में होता है जिसमें पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थित होता है।

प्रश्न क्या उक्त कार्यालय में कोई कानूनी सहयता क्लीनिक है और उस सहयता क्लीनिक के क्या कार्य हैं?

उत्तरः हां, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्धारा प्रत्येक सरंक्षक अधिकारी के कार्यालय में कानूनी सहयता क्लिनिक स्थापित किये जा चुके हैं। क्लिनिक में हाजिर वकील घरेलु हिंसा की शिकार पीड़ितों को कानूनी सहयता प्रदान करता है।

प्रश्न सरंक्षक अधिकारी के द्धारा क्या क्या कतर्व्य निभाये जाते हैं ?

उत्तरः सरंक्षक अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य है

- इस कानून के तहत न्यायिक अधिकारी के कार्यों के उनमोचन में सहयता प्रदान करना.
- 2 धरेलू हिंसा की धटना की रिर्पोट न्यायिक अधिकारी को करवाना,
- अगर पीडिता चाहे तो न्यायिक अधिकारी से सरंक्षक आदेश जारी करवाने के लिए आवेदन करना।
- पीड़िता को विधिक और कानूनी सहयता सुनिश्चित करना,
- 5 सेवाएं प्रदान करने वालो की सूचि तैयार करना,
- 6 अगर पीड़िता चाहे तो उसे सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराना,
- 7 पीड़िता को यदि शारीरिक चोटें हों तो चिक्तिसिय जाँच उपलब्ध कराना,
- आर्थिक सहयता के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना
- 9 निश्चित किए गए कर्तव्यों की पालना करना